Government of Rajasthan
Consumer Affairs Department
(Legal Metrology Cell)

No.F89/संस्था/LM-1(213)/2021 जयपुर, दिनांक 27.05.2021

:आदेशः

राज्य के गरीब एवं लघु मध्यम वर्ग के यूजर्स जिनके द्वारा कांटे–बाट (बाट या माप) का सत्यापन एवं मुद्रांकन का कार्य कार्यकारी मानक प्रयोगशालाओं एवं शिविर स्थलों में कराया जाता है, उनके लिए बाट या माप सत्यापन प्रमाण–पत्र के आवेदन–पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने में लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (विलम्ब शुल्क/पेनल्टी शुल्क) में दिनांक 31.12.2021 तक एकबारीय शिथिलता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः तद्नुसार संबंधित को निर्देशित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
नियंत्रक

No.F89/संस्था/LM-1(213)/2021 जयपुर, दिनांक: 27.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक/नियंत्रक (वि.मा.) उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान।
5. अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि उक्तानुसार ई–तुलामान सॉफ्टवेयर में अपडेट कराये जाने की व्यवस्था करावे।
6. उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त संबंध में सोशल मीडिया पर प्रचार–प्रसार का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करावे।
8. श्री पवन जांगीड, ई–तुलामान प्रभारी, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान।
9. श्री रविन्द्र कुमार जैन विभागीय प्रोग्रामर को वैबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत्।
10. अध्यक्ष, राजस्थान बाट–माप विनिर्माता/डीलर्स एसोसिएसन राजस्थान।
11. अध्यक्ष, राजस्थान बाट–माप मरम्मतकर्त्ता एसोसिएसन राजस्थान।
12. महासचिव, आल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएसन।
13. समस्त सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अनुमोदित कार्यकारी मानक प्रयोगशालाओं एवं शिविर स्थलों में बाट या माप के अतिरिक्त शुल्क में दी गई शिथिलता दिनांक 31.12.2021 तक आदेशानुसार सत्यापन एवं मुद्रांकन का कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है। ज्ञातव्य रहे कि अमानक बाट या माप का सत्यापन एवं मुद्रांकन नही किया जावे।
14. रक्षा पत्रिका।

उप–नियंत्रक